आपसी समन्वय से सुदृढ़ हो सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं पर लगे लगाम : संभागीय आयुक्त

■ संभाग के सभी जिलों में सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्य किया जाए और सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में गंभीरता से कार्य करें। बैठक में आईजी हरेंद्र महावर ने भी महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए। संभाग के जिलों के कलक्टर एवं संबंधित विभागीय अधिकारी भी वीसी से जुड़े। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने, गंभीर दुर्घटनाओं के कारणों एवं सुधारात्मक उपायों हेतु कार्ययोजना के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठकों एवं बैठक में लिए निर्णयों की क्रियान्विति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों में सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्य किया जाए और सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। रोड सेफ्टी ऑडिट मां सामने आई कमियों को दुरुस्त करने के लिए बिना किसी विलंब तुरंत रखरखाव एवं सुधारात्मक कार्य किए जाएं। चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर की गई सुरक्षात्मक इंतजामों की भी जानकारी ली गई। संभाग में ट्रॉमा सेंटर्स की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जो भवन बनकर तैयार हैं उन्हें फंक्शनल बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाऐं। आधुनिक सुविधाओं युक्त एंबुलेंस की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाऐं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्गों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था पर असंतोष जताते कहा कि इसकी मोबिलिटी बढ़ाई जाए साथ ही इसके निगरानी तंत्र को भी सुदृढ़ किया जाए। आवागमन में बाधक अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने, ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने,चालानों की लंबित राशि की वसूली, बेतरतीब ढाबों के बजाय ड्राईवर फ्रेंडली स्थान पर अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था, अनधिकृत स्लीपर कोच बसों के संचालन, ट्रॉली पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर का अंकन इत्यादि के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गऐं।

बैठक में आईजी हरेंद्र महावर ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के मध्य नजर विभागीय समन्वय के लिए एसओपी तैयार कर कार्य क्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारी तय करना इस दिशा में प्रभावी कदम होगा। इसी तरह उन्होंने एनएच के पोर्टल में पुलिस की एक्सेसिबिलिटी को भी महत्वपूर्ण बताया ताकि आपसी संबंध बेहतर हो सके। बैठक में कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त बचनेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक शहर तेजस्वनी गौतम, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी सहित एनएच, एन एचएआई, परिवहन, सार्वजनिक निर्माण, मेडिकल एवं संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आरपीएफ चौकी के पास बुजुर्ग महिला से मंगलसूत्र झपटने का आरोप

■ पीड़िता ने कहा- दयोदय एक्सप्रेस के आते ही युवक ने दिया वारदात को अंजाम, प्लेटफॉर्म नंबर-2 की ओर भाग निकला,रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती घटनाओं से लोगों में चिंता

छबड़ा(निसं)। छबड़ा-गुगोर रेलवे स्टेशन पर सोमवार तड़के एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित झपटमारी की घटना सामने आई है। पीड़िता ने रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी की पहचान करने और कार्रवाई की मांग की है।

भगवानपुरा निवासी बादाम बाई बैरवा ने बताया कि वह सोमवार सुबह करीब 4:45 बजे अजमेर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थीं। वह प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर आरपीएफ चौकी के पास बन स्थित सीट पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थीं।इसी दौरान एक युवक उनके पास आकर बैठ गया। पीड़िता के अनुसार, कुछ समय बाद जैसे ही दयोदय एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची, उनके पास बैठा युवक अचानक उनके गले से मंगलसूत्र तोड़कर भाग निकला। महिला का कहना है कि आरोपी ट्रेन के इंजन के आगे से पटरी पार करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर-2 की ओर भाग गया और मौके का फायदा उठाकर ओझल हो गया। बुजुर्ग महिला ने बताया कि घटना इतनी तेजी से हुई कि वह आरोपी का पीछा नहीं कर सकीं। उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से मदद की उम्मीद भी की, लेकिन तत्काल कोई सहायता नहीं मिल सकी। पीड़िता ने बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंध रखती हैं और घटना के बाद काफी देर तक सदमे की स्थिति में रहीं। महिला के अनुसार, अशिक्षित होने तथा ट्रेन के रवाना होने की वजह से वह तत्काल आरपीएफ चौकी में शिकायत दर्ज नहीं करा सकीं। आमजन का कहना है कि रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चोरी और झपटमारी जैसी घटनाओं को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंनें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। पीड़िता का मानना है कि घटना रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई होगी। ऐसे में फुटेज की जांच कर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

वीबी-जी-रामजी योजना में स्कूल भवन मरम्मत के प्रस्ताव लिए जाएं : जिला कलैक्टर

■ जिला कलक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को पाबंद किया जाए कि जर्जर हो चुके कमरों में बच्चों को नहीं बिठाए

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सर्वे के दौरान जर्जर पाई गई स्कूल बिल्डिंग को जमींदोज करने तथा जिन स्कूल भवनों को मरम्मत की आवश्यकता है वहां मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि वीबी-जी-रामजी योजना के तहत स्कूल भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव लिए जाएं। उन्होंने इस संबंध में जिला परिषद एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को पाबंद किया जाए कि जर्जर हो चुके कमरों में बच्चों को नहीं बिठाएं। उन्होंने कहा कि जर्जर आंगनबाड़ी भवनों में भी बच्चों को नहीं बिठाया जाए। साथ ही, स्कूली बच्चों को बिजली का खम्भे के पास नहीं जाने और बरसाती पानी के गड्ढों में नहीं खेलने के बारे में जागरूक किया जाऐं। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को सभी नालों की सफाई सुनिश्चित करने और पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गऐं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का सतत निरीक्षण करने, ऊर्जा विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, आंधी-तूफान की स्थिति में विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा त्वरित मरम्मत व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बिमारियों की रोकथाम को लेकर आवश्यक दवाईयों एवं चिकित्सा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गऐं। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) वीरेन्द्र सिंह यादव, राजस्व अपील अधिकारी कृष्णा शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) विनोद कुमार मल्होत्रा, सचिव केडीए मुकेश चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने सुसाईड किया

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम् इलाके में पत्नी को लेने पहुंचे युवक ने ससुराल आने से पहले जहरीले पदार्थ खा लिया व शराब पी ली, ससुराल में युवक की तबियत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चेचट निवासी पप्पुलाल का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद रहता था, पप्पूलाल पत्नी के साथ मारपीट भी करता था, पप्पूलाल पत्नी को लेने आरकेपुरम् थाना इलाके के बोराबास ससुराल पहुंचा जहां हंगामा करते हुए उसने जहरीले पदार्थ खाकर आने की बात कही, जिस पर ससुराल पक्ष के लोगों ने पप्पूलाल को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आरकेपुरम् थाने के एएसआई लक्ष्मीनारायण ने बताया कि चेचट निवासी पप्पूलाल अपने ससुराल बोराबास में आने से पहले रास्ते में कोई अज्ञात जहरीले पदार्थ खाकर व शराब पीता हुआ पहुंचा, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में सामने आया कि मृतक पप्पू पत्नी से मारपीट करता था, मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

जय जगन्नाथ रथ यात्रा मनोरथ व वृक्ष वितरण कार्यक्रम संपन्न

बूंदी(निसं)। संस्कृति संस्था द्वारा जय जगन्नाथ रथ यात्रा मनोरथ एवं रक्षा रोपण के लिए वृक्ष वितरण कार्यक्रम एक निजी होटल में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। संस्था अध्यक्ष शालिनी विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के आयोजक एवं निर्देशक श्रीमती पूजा हाड़ा, चित्रा बिड़ला एवं सरोज गुर्जर ने सभी सदस्यों का वैष्णव तिलक लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने पीले एवं लाल रंग के परिधान धारण कर भगवान जगन्नाथ की सामूहिक आरती की तथा सामूहिक रूप से खिचड़ी प्रसाद का भोग लगाया। कार्यक्रम के दौरान भजन प्रस्तुत किए गए और आगामी रथ यात्रा मनोरथ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।आयोजकों द्वारा सभी सदस्यों को जय जगन्नाथ स्वरूप वृक्ष उपहार में भेंट किए गए, जिनमें आंवला, जामुन, सहजन, गुड़हल, अमलतास, पीपल एवंनीमसहित विभिन्न पौधे शामिल थे। सदस्यों ने श्रद्धापूर्वक इन पौधों को ग्रहण कर अपने घर के आसपास लगाने एवं उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में सभी ने सामूहिक रूप से भगवान जगन्नाथ की परिक्रमा की तथा रथ यात्रा निकालकर भक्तिभाव से जयकारे लगाए। संस्था की सलाहकार विमलेश सोनी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के माध्यम से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सभी सदस्यों ने भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए हर्षोल्लास के साथ जय जगन्नाथ रथ मनोरथ मनाया।संस्था अध्यक्ष शालिनी विजय ने सभी सदस्यों से आव्हान किया कि संस्कृति संस्था सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बूंदी जिले में विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करती रहती है।

उन्होंने सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा व्यक्त की।कार्यक्रम में संस्था की उपाध्यक्ष उर्मिला नुवाल, सचिव मंजू जिंदल, कोषाध्यक्ष माधवी छोडा , सांस्कृतिक मंत्री अंजू अजमेरा, फाउंडर मेंबर प्रियंका सोलंकी, भावना नायक, कामना माथुर, शशि नायक, मनजीत कौर, संतोष सोनी, मधु भाटिया, मधु हल्दिया, बॉबी भाटिया, बीना भाटिया, रानी यादव, संतोष ओझा, रुक्मणी जाजू, लीला सोमानी, राधा माहेश्वरी, आराधना नागर, संगीता नुवाल, अर्चना नुवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे कर्मचारियों की चेतावनी

कोटा,(निसं)। कोटा मंडल द्वारा जारी कर्मचारी विरोधी नेम नोटिंग पॉलिसी को तत्काल रद्द करने कि मांग को लेकर सोमवार को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लाईज यूनियन ने डीआरएम के नाम अपर मण्डल रेल प्रबंधक योगेश कुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के सहायक महामंत्री कॉ. नरेश मालव ने बताया कि मण्डल ने जो नेमनोटिग पोलीसी जारी की थी वह कर्मचारी विरोधी है एंव उसके कारण मण्डल के हजारो कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे है एंव उनकी वरिष्ठता एंव हक भी प्रभावित हो रहे है। यूनियन फरवरी माह से लगातार प्रशासन को अवगत करा रही है लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कर्मचारियों में आक्रोश हैं। यूनियन के कोषाध्यक्ष कॉ. इरशाद के नेतृत्व मे यूनियन कार्यकर्ताओ ने अंतिम और निर्णायक ज्ञापन सौंपकर कहा कि अतिशीघ्र इस पर आदेश जारी होकर नेम नोटिंग पॉलिसी में परिवर्तन नहीं हुआ तो यूनियन आंदोलन करने पर मजबूर होगी। ज्ञापन देने वाले यूनियन प्रतिनिधी मण्डल मे सहा. मण्डल सचिव बीएन शर्मा, जोनल यूथ अध्यक्ष मनीष मीना, मण्डल यूथ सचिव आशीष कटारा, दिपक राठौड़, देवेन्द्र, मुनेष, नरेन्द्र, राकेश, रामेध, सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

कोटा महिला कांग्रेस की जिला संगठनात्मक बैठक सम्पन्न

■ 21 जुलाई संसद चलो अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया

कोटा, (निसं)। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार सोमवार को गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कोटा शहर की संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस कोटा शहर प्रभारी रिक्की सिंह हंतरा रही।

कोटा शहर प्रभारी रिक्की सिंह हंतरा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति उसकी सक्रिय कार्यकर्ता होती हैं। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, अधिकाधिक महिलाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों में पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा कि महिला कांग्रेस का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को संगठन से जोड़कर उन्हें नेतृत्व का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित जनसंपर्क, सदस्यता अभियान एवं संगठनात्मक गतिविधियों को निरंतर संचालित करने का आह्वान करते हुए कहा कि मजबूत संगठन ही जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठा सकता है, महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। बैठक में 21 जुलाई से प्रारंभ होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित संसद चलो कार्यक्रम एवं विशाल प्रदर्शन की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर अधिकाधिक महिला कार्यकर्ताओं की दिल्ली में सहभागिता सुनिश्चित करने, जनसंपर्क अभियान को तेज करने तथा कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। बैठक में जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, महिला कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक के दौरान संगठन की वर्तमान गतिविधियों एवं संगठनात्मक संरचना की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में संगठन विस्तार, रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति, सदस्यता अभियान को गति देने तथा महिला कांग्रेस को बूथ स्तर तक सशक्त एवं सक्रिय बनाने की रणनीति तैयार की गई।बैठक के पश्चात कांग्रेस कार्यालय, गुमानपुरा में महिला कांग्रेस द्वारा महिला आरक्षण लागू करो, आज करो-अभी करो एवं ओबीसी महिलाओं को आरक्षण में शामिल करो की मांग को लेकर व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

चार किलो अवैध मादक पदार्थ सहित आरोपी गिरफ्तार

■ शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करो की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है

कोटा, (निसं)। आरकेपुरम् पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 4 किलो 920 ग्राम अफीम डोडा चूरा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करो की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान ऑपरेशन गरूड्व्यू फैज-2 चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कार्यवाही के लिये समस्त थानाधिकारियो को निर्देशित किया गया है।

शहर एसपी ने बताया कि आरेकेपुरम थानाधिकारी बाबूलाल पारेता मय जाप्ता इलाके में गश्त करते हुए नयागांव पुलिया के पास पहुंचे जहां नाकाबंदी कर वाहनो की चैकिंग की। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति पिट्ठु बैग लेकर रावताभाटा रोड की तरफ से पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस जाप्ता देखकर मुड़कर जाने लगा पुलिस टीम ने संदेह होने पर मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को डिटेन कर उसके बैग की तलाशी ली तो, तलाशी के दौरान पुलिस को बैग से गर्म शॉल में छिपाकर रखी गई एक पॉलीथीन में 4 किलो 920 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए जिला बरनाल पंजाब के ठुलीवाल निवासी सुखदेव (61) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

खोया पाया

यह कि नया बाजार आवंटन समिति (आर.पी.एस) रावतभाटा द्वारा नया बाजार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 257 साईज 40x50 क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट का लाईसेन्स क्रमांक (पट्टा) 3130 दिनांक 16.07.1982 से नाथूलाल पिता श्री चतरा जी को जारी किया गया था, जिनकी अमल (मूल) प्रति कही खो गई है, जिस किसी भी व्यक्ति को मिले तो इस मो. नं. 8003313999 पर सूचित करे।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय स्थान छबड़ा

छितर लाल विरुद्ध रामावतार वगै.

बाबत 88, 89, 91, व 15 क,क,क एवं 188 R.T. Act

बनाम (1) रामचरण पुत्र मथुरालाल जाति सहरिया निवासी शेखापूर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) (2) रामचन्द्र पुत्र जग्गा जाति चमार निवासी ग्राम उमरथाना तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

वादी ने आपके विरुद्ध 88, 89, 91, व 15 क,क,क एवं 188 R.T.A. के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 7 माह 08 सन् 2026 को दिन में 2 PM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 8 माह 7 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-4 स्थान कोटा (राज.)

रितीक सेन विरुद्ध वेदप्रकाश वगै.

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा | वाद सं.: CS 121 सन् 26

बनाम (1.) वेदप्रकाश स्वामी पुत्र नामालुम जाति ...... मो. 9549498642, स्थान- ग्राम सुतडा, तहसील डाबी, जिला बून्दी (राज.) (2.) अरविन्द कुमार प्रजापत पुत्र जगदीश प्रजापत, जाति ...... स्थान- ग्राम डाबी, तहसील डाबी, जिला बून्दी (राज.) (3.) संजय खान पुत्र नामालुम, जाति ...... मो. 8058054545 (4.) अरविन्द गुर्जर पुत्र नामालुम, जाति ...... मो. 9887474920 स्थान तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.) (5.) पदम कुमार जैन पुत्र श्री माधोलाल, जाति ......, स्थान- म.नं. 8-ए-21, बैंक के पीछे, महावीर नगर-III, कोटा (राजस्थान) (6.) अनिता सुवाल पत्नी जगदीश, जाति ......, स्थान- 461 दादाबाड़ी, कोटा (राजस्थान)

वादीगण ने आपके विरुद्ध रजिस्ट्री कैंसिल के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 29 माह 07 सन् 2026 को दिन में 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 13 माह 07 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

(मोहर) आज्ञानुसार - रीडर ग्रेड प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-4, कोटा (राज.)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 145 दिनांक : 10.7.26

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

प्राधिकरण कोटा की सुभाष नगर योजना के भूखण्ड / आवास संख्या 225 का आवंटन /हस्तान्तरण / रजि. न्यास के पत्र दिनांक 03.03.1994 को श्री प्रेमचंद पुत्र श्री पन्नालाल को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती ओमकंवर पत्नी श्री बृजराज सिंह द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2004 को श्री बृजराज सिंह तोमर पुत्र श्री गोरधन सिंह को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का बिना स्वीकृति के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11.05 को श्री ईश्वर सिंह झाला पुत्र श्री जसवंत सिंह झाला को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 225 योजना सुभाष नगर का नाम हस्तान्तरण श्री ईश्वर सिंह झाला पुत्र श्री जसवंत सिंह झाला के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 650 दिनांक : 13.7.26

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-96 (कॉर्नर) स्पेशल व्यवसायिक आनन्तपुरा स्टोन मण्डी योजना का नीलामी प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-3824 दिनांक 20.11.2009 द्वारा श्री सुरेश चन्द सिंघल पुत्र श्री राधेश्याम, (2) श्री त्रिलोक चन्द पुत्र स्व. मांगीलाल, (3) श्री राम गिडवानी पुत्र श्री फैरूमल एवं (4) श्री द्वारका प्रसाद गर्ग पुत्र श्री कल्याणमल को आवंटन किया गया था। अवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जरिये मुख्तारआम दिनांक 04.02.2012 श्री कुन्ज बिहारी सिंघल पुत्र श्री सुरेश चन्द को विक्रय कर दीया क्रेता द्वारा भी उक्त भूखण्ड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2026 को डॉ. अक्षत विजय पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश विजय को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या-96 (कॉर्नर) स्पेशल व्यवसायिक योजना आनन्तपुरा स्टोन मण्डी का नाम हस्तान्तरण आवेदक डॉ. अक्षत विजय पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश विजय के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 125 दिनांक : 8.7.2026

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

प्राधिकरण कोटा की विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल विस्तार योजना के भूखण्ड / आवास संख्या 226 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 04.12.2000 को मै. जैन ऑटोमोबाइल प्रो. श्रीमती कनक जैन को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआाग श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मगनलाल द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2018 को श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री रामप्रसाद शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 226 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल विस्तार का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री रामप्रसाद शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ/तहसील/क.ब./2026/1285 दिनांक : 13.7.2026

नाम हस्तातंरण हेतु विझप्ति आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 109 आदर्श नगर कच्ची बस्ती का पट्टा नियमन क्रमांक नियम/आवंटन/71 दिनांक 30.11.1983 को श्री किशनलाल पुत्र माधोलाल को आवंटित किया गया था। आवंटी श्री किशनलाल का स्वर्गवास दिनांक 11.01. 2023 को हो जाने के कारण विधिक वारिसानों द्वारा आवेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 19.12.2025 से शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पर श्रीमती सोसर बाई पत्नि स्व. श्री किशनलाल ने स्वयं के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है। जिसका नाम हस्तान्तरण प्रस्तावित है।

अतः उक्त नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सोसर बाई पत्नि स्व. श्री किशनलाल के नाम से कर दिया जायेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा